

अनुदान संख्या 64 - अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
GRANT No. 64-MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|------------------------------------|-----------|------------------------------|--|-----------------|
| (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) | | | | | |
| राजस्व: | Revenue: | | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 442,83,00 | 442,84,00 | 138,38,20 | -304,45,80 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 304,12,15 |
| पूंजीगत: | Capital: | | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | | 70,00,00 | 70,00,00 | . . |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | शून्य Nil |

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|--------|
| मुख्य शीर्ष "2225" | Major Head "2225" | | | | |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | | | | |
| मू. | O. | 7340.00 | 7616.35 | 7601.27 | -15.08 |
| पू. | S. | 1.00 | | | |
| पु. | R. | 275.35 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2250" | Major Head "2250" | | | | |
| अन्य सामाजिक सेवाएं | Other Social Services | | | | |
| मू. | O. | 602.00 | 493.35 | 473.94 | -19.41 |
| पु. | R. | -108.65 | | | |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|--|---|--|---|-----------------|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | |
| मू. | O. | 3800.00 | .. | .. |
| पु. | R. | -3800.00 | .. | .. |
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | |
| मू. | O. | 31545.00 | 4998.70 | 4998.70 |
| पु. | R. | -26546.30 | | .. |
| मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments | | | |
| मू. | O. | 315.00 | 65.27 | 65.27 |
| पु. | R. | -249.73 | | .. |
| 1. | 21800.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 21540.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:- | (I) | Provision of Rs.21800.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.21540.00 lakhs accounted for under the following major heads:- | |
| (का) | मुख्य शीर्ष "2552" - "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य व्यय" - | (A) | Major Head "2552"- "General (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Other Expenditure"- | |
| (क) | "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता व साधन आधारित छात्रवृत्ति" - 540.00 लाख रु.; | (a) | "Merit-cum-Means based Scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities"- Rs.540.00 lakhs; | |
| (ख) | "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - 1000.00 लाख रु.। | (b) | "Post-Matric Scholarship for Minorities" – Rs.1000.00 lakhs. | |

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(ग) “अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना” - 1200.00 लाख रु. कार्यक्रम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण थे।

(घ) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति” - 800.00 लाख रु. स्कीम को आरंभ न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान” -

(क) “अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना” - 10800.00 लाख रु.; और

(ख) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति” - 7092.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यक्रम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति” - 108.00 लाख रु. स्कीम को आरंभ न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “2225” - “सामान्य - “स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीम” के अंतर्गत 346.70 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2250” - “अन्य व्यय - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग” के अंतर्गत 117.45 लाख रु. की बचत (440.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा कोई व्यय न किए जाने और चिकित्सा दावों की कम संख्या होने के कारण हुई।

Provisions under the above two heads remained wholly unutilised due to non-receipt of proposals.

(c) “Multi Sectoral Development Plan for Minorities” - Rs.1200.00 lakhs - due to late approval of the programme.

(d) “Pre-Matric Scholarship for Minorities” - Rs.800.00 lakhs - due to non-launching of the scheme.

(B) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants” -

(a) “Multi Sectoral Development Plan for Minorities” - Rs.10800.00 lakhs; and

(b) “Pre-Matric Scholarship for Minorities” - Rs.7092.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to late approval of the programme.

(C) Major Head “3602” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants - Pre-Matric Scholarship for Minorities” - Rs.108.00 lakhs - due to non-launching of the scheme.

(II) Under Major Head “2225” - “General - Aids to Voluntary Organisations - Coaching and Allied Scheme for Minorities” - saving of Rs.346.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 900.00 lakhs) was due to delay in receipt of proposals.

(III) Under Major Head “2250” - “Other Expenditure - National Commission for Minorities” - saving of Rs.117.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 440.00 lakhs) was due to no expenditure incurred by Central Public Works Department and Directorate of Audio and Visual Publicity and less number of medical claims.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता एवं साधन आधारित छात्रवृत्ति" - 755.16 लाख रु. की बचत (4788.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सात राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - 7920.00 लाख रु. की बचत (8865.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई स्कीम होने की वजह से प्रस्तावों के विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" के अंतर्गत 116.75 लाख रु. की बचत (135.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (513.93 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2225" - "सामान्य - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए जनप्रचार अभियान" - 318.93 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 311.97 लाख रु. था।

(खा) "अनुसंधान/अध्ययन, स्कीमों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन" - 195.00 लाख रु.।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Merit-cum-Means based Scholarship for Professional and Technical courses for Minorities" - saving of Rs.755.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4788.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from seven State Governments.

(B) "Post-Matric Scholarship for Minorities" - saving of Rs.7920.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 8865.00 lakhs) was due to late receipt of proposals, being new scheme.

(V) Under Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants - Post-Matric Scholarship for Minorities" - saving of Rs.116.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.135.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

2.(I) The above savings were partly (Rs.513.93 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in November, 2007 under Major Head "2225" - "General - Other Expenditure" - under the following heads:-

(A) "Media Campaign for Minorities" - Rs.318.93 lakhs. Actual excess, however, was Rs.311.97 lakhs.

(B) "Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Schemes" - Rs.195.00 lakhs.

(II) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

| | | |
|------------------------------|--|--|
| कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |

| शीर्ष | Head | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| मुख्य शीर्ष "4225" | Major Head "4225" | | | |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | | | |
| मू. | O. | 6300.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| पु. | R. | 700.00 | | |
| मुख्य शीर्ष "4552" | Major Head "4552" | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय | Capital Outlay on North Eastern Areas | | | |
| मू. | O. | 700.00 | .. | .. |
| पु. | R. | -700.00 | | .. |

(I) 700.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) उपर्युक्त बचत मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई - 700.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.700.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "General (Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities Development and Finance Corporation" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) The above saving was offset by excess under Major Head "4225"- "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities Development and Finance Corporation" - excess of Rs.700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.